

## कार्यालय—निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:—शिविरा—प्रारं/बजट/बी-2/9603/2018-19/52 दिनांक:—21/8/2018


जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा (विधि) जयपुर।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राशि आवंटन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मांग संख्या 24 के तहत लेखामद 2202—सामान्य शिक्षा, 01—प्रारंभिक शिक्षा, 196—जिला परिषद/जिला स्तरीय की पंचायतों को सहायता (07)—निरीक्षण, [02] निरीक्षण कार्यालयों का संस्थापन व्यय—प्रतिबद्ध, 08—वृत्तिक एवं विशिष्ट सेवाओं पर संदाय (राज्य निधि) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राशि रूपये 13,00,000 /— (अक्षरे रूपये तेरह लाख मात्र) का बजट आवंटन किया जा रहा है।


उक्त राशि का आवंटन एस.बी.सिविल याचका संख्या 4521/18 कमलेश कुमार मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार संबंधित अधिवक्ताओं के भुगतान हेतु किया जा रहा है। आवंटित राशि का उपयोग नियमानुसार एवं आवंटित राशि की सीमा में ही किया जावे। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.5(थ-75)कोष/IFMS/कोषालय/23484-23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय द्वारा प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक बुक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 03 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

  
मुख्य लेखाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:—

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, सिस्टम एवं अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. उप विधि परामर्शी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. सहायक लेखाधिकारी, अंक मिलान।
4. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य लेखाधिकारी